To,

The Registrar (General),
National Green Tribunal
Principal bench
New Delhi

No. 1671/G/OANo-492/2023 Date 4/2/2023

Subject : **Report in compliance of order dated 09-01-2023 passed by Hon'ble NGT on OA No 492/2022 titled by Green Wood City Villa Jan Welfare Society & Anr Versus Godwin Construction Company Pvt. Ltd. & Ors.**

Sir,

In reference to the above O.A, Hon'ble Tribunal on dated 09.01,2023 issued directions, effective part of which states that :-

"15. We are of the considered view that the District magistrate, Meerut, who is conferred very wide powers under the environmental statutory provisions, can play a crucial role in resolution of environmental disputes/problems. Accordingly, the District Magistrate, Meerut is directed to convene a meeting within two weeks to be attended by Vice Chairman, MDA, Regional Officer, UPPCB and representatives of the application and the Project Proponent for resolving all the issues.

16. List for further consideration on 09-02-2023.

17. In the meanwhile the MDA and the Municipal Corporation, Meerut are directed to ensure proper management and disposal of solid waste and domestic sewage generated in the colony in accordance with the environmental norms."

In compliance of the above order, a meeting was held with MDA, UPPCB, representatives of the applicants and the project proponent on dated 17-01-2023. After meeting, a committee was constituted of following officials to visit the site and submit factual report.

1. Executive Engineer, Meerut Division, Gang Nahar, Meerut
2. Project Manager, U.P. Jal Nigam, Urban Unit, Meerut.
3. Executive Engineer, Nagar Nigam, Meerut.
4. Executive Engineer, Meerut Development Authority, Meerut.

The Joint Committee visited alleged site on dated 30-01-2023 and submitted the factual action taken report which is attached as **annexure-1.** As per report, developer has connected the sever line by 4 inch pipe to 8 inch sever line laid by MDA. Sewerage is disposed through STP of Ved Vyaspuri. MDA was cleaned the chocked sever line as alleged by the applicants.

Solid waste of colony is being picked and disposed off by Nagar Nigam, Meerut

As per the above site inspection reports are presented for perusal and necessary action.

With regards,

Enclosure : Joint committee Report attached.

Your's faithfully,

4/2/2023

(Deepak Meena)
District Magistrate,
Meerut

Annexure I

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक : 2196/EE/MDA/MRT दिनांक : 02/02/2023

सेवा में,

1. जिलाधिकारी,
मेरठ।

2. क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
मेरठ।

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 नं0–492/2022 में पारित आदेश दिनांक 09.01.2023 के अनुपालन में मैसर्स ग्रीनवुड सिटी की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पत्र संख्या–1613/0A/492/MRT/2023 दिनांक 21.01.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 नं0–492/2022 में पारित आदेश दिनांक 09.01.2023 के परिपेक्ष्य में गॉडविन कन्सट्रक्शन कम्पनी प्रा0 लि0, मेरठ द्वारा निर्मित मैसर्स ग्रीनवुड सिटी प्रा0लि0, एन0एच0–58 बाईपास रोड, मेरठ के निम्न बिन्दुओं पर कैम्प कार्यालय में गठित समिति अधिशासी अभियन्ता मेरठ खण्ड गंग नहर, परियोजना प्रबन्धक उ0प्र0 जल निगम नगरीय ईकाई, मेरठ, अधिशासी अभियन्ता नगर निगम मेरठ, अधिशासी अभियन्ता मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ, श्री जितेन्द्र सिंह बाजवा, गोडविन कन्सट्रक्शन कम्पनी प्रा0 लि0, श्री रमेन्द्र सिंह, ग्रीनवुड वेलफेयर सोसायटी मेरठ व श्री दीपक राज प्रेमी, ग्रीनवुड वेलफेयर सोसायटी मेरठ की उपस्थित में दिनांक 17.01.2023 को विचार विमर्श किया गया एवं समिति को स्थल निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। समिति द्वारा दिनांक 30.01.2023 को स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण आख्या निम्नवत हैः–

1	सीवर का निस्तारण	ग्रीनवुड सिटी के अनुरोध पर सीवर निस्तारण हेतु मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा वाह्य विकास निधि के अन्तर्गत सन्–2009 में ग्रीनवुड सिटी के समीप से 200 एमएम डाया के (**C.I D/F**) पाइप लाइन बिछाकर वेदव्यासपुरी की ट्रंक सीवर के मेन होल में जोड़ा गया हैं। जोकि मानको के अनुरूप हैं। ग्रीनवुड के परिसर की आन्तरिक सीवर लाइन, सम्पवैल एवं पम्पिग स्टेशन का निर्माण कर प्राधिकरण द्वारा निर्मित सीवर लाइन में जोड़ने का कार्य विकासकर्ता द्वारा कराया जाना था। समिति द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया। विकासकर्ता द्वारा परिसर के अन्दर सम्पवैल का निमार्ण कर प्राधिकरण की 8 इन्च की पाइप लाइन में फ्लैच के माध्यम से 4 इन्च का पाइप से जोड़ा गया हैं एवं 25 हार्स पावर का पम्प लगा कर सम्पवैल से सीवर लिफ्ट किया जा रहा हैं। परिसर में भ्रमण के दौरान कही पर भी सीवर ओवरफ्लो होता नही पाया गया। वेदव्यासपुरी मे डिस्पोजल स्थल पर चोक्ड सीवर लाइन की सफाई करा दी गयी हैं।
2	ड्रेनेज/सीवर सिस्टम	कालोनी परिसर में ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण/विकास कार्य विकासकर्ता द्वारा कराया जाना था, परन्तु स्थल पर निरीक्षण दौरान पाया गया कि विकासकर्ता द्वारा ड्रेनेज का कार्य नही कराया गया हैं।
3	रोड	स्थल पर आन्तरिक सडके क्षतिग्रस्त है, जिनमें से कुछ सडकों पर मरम्मत का कार्य कराया गया है। विकासकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि अनुकूल मौसम होने पर क्षतिग्रस्त सड़को पर मरम्मत का कार्य करा दिया जायेगा।

4	सोलिड वेस्ट डिस्पोजल	विकासकर्ता द्वारा कालोनी परिसर में एक कोने पर कूड़ा एकत्रित करने का स्थल तैयार किया गया हैं। जहाँ से नगर निगम द्वारा कूड़े का निस्तारित किया जा रहा हैं।
5	बागपत रोड से एन्ट्री गेट की स्थिति	स्वीकृत मानचित्र में कालोनी हेतु दो पहुँच मार्ग दर्शाये गये है, जिसमें एक मुख्य मार्ग 24 मी0 पहुंच मार्ग जोकि 76 मी0 चौडे रूडकी बाईपास रोड से आवागमन हेतु संचालित है एवं दूसरा 18 मी0 चौडा पहुँच मार्ग 76 मी0 चौडे बागपत रोड पर दर्शाया गया है। स्थल निरीक्षण के दौरान पाया गया कि विकासकर्ता द्वारा उक्त पहुँच मार्ग पर सड़क निमार्ण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया हैं। यहा यह भी अवगत कराना हैं कि स्थल पर 18मी0 चौडे पहुँच मार्ग की चौड़ाई स्वीकृत मानचित्र से कम पायी गयी है।

विकासकर्ता गोडविन कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा0लि0 द्वारा ग्रीनवुड सिटी कालोनी का तलपट मानचित्र संख्या–28/06 मेरठ विकास प्राधिकरण से दिनांक 26.09.2007 को स्वीकृत कराकर विकसित की गयी है। विकासकर्ता द्वारा वाहय विकास शुल्क के रूप में प्राधिकरण में जमा कराये जाने वाली अवशेष धनराशि अद्यतन नही जमा करायी गयी है, जिस हेतु प्राधिकरण द्वारा दिनांक 18.02.2022 को भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूली हेतु जिलाधिकारी महोदय को पत्र प्रेषित किया गया है। मानचित्र स्वीकृति की शर्तो के अनुसार विकासकर्ता को कालोनी के समस्त आन्तरिक विकास कार्य तीन वर्ष के अन्दर पूर्ण कर प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए कालोनी नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरित की जानी थी, जब तक विकासकर्ता द्वारा कालोनी नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरित नही की जाती, तब तक आन्तरिक विकास कार्यो/अवस्थापना सुविधाओं के रख–रखाव का उत्तरदायित्व स्वयं विकासकर्ता का होने की शर्त अंकित की गयी है तथा विकासकर्ता द्वारा उक्त के सम्बन्ध में प्राधिकरण से अनुबन्ध भी निष्पादित किया गया हैं। किन्तु अभी तक विकासकर्ता द्वारा कालोनी के समस्त आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण कर प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नही किया गया है तथा न ही कालोनी नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरित की गयी है।

उपरोक्तानुसार स्थल निरीक्षण आख्या अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैं।

पर्यावरण अभियन्ता
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
मेरठ।

अधिशासी अभियन्ता,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

अधिशासी अभियन्ता,
मेरठ खण्ड गंग नहर,
मेरठ।

परियोजना प्रबन्धक,
उ0प्र0 जल निगम,
नगरीय ईकाई, मेरठ।

अधिशासी अभियन्ता,
नगर निगम,
मेरठ।